

प्रपत्र-3

[देखिये नियम 12(2)]

मतदाता सूची में दर्ज नाम के विरुद्ध आपत्ति

सेवा में,

निबंधन पदाधिकारी/रिवाइजिंग अथॉरिटी

.....
(नगरपालिका का नाम)

वार्ड संख्या

महाशय,

मैं उक्त नगरपालिका के वार्ड संख्या के लिए प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति करता/करती हूँ। मेरे आपत्ति/आक्षेप के समर्थन में विशिष्टियाँ नीचे दी जा रही हैं :-

मैं सूचित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती/सुश्री* जिनका नाम, के वार्ड संख्या थाना की (नगरपालिका का नाम) मतदाता सूची के क्रमांक पर अंकित है, पर मेरी आपत्ति है।

मेरी आपत्ति का आधार :-

है, जिनके संबंध में मैं इस आपत्ति के साथ निम्नांकित कागजातों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित करता/करती हूँ।

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस आपत्ति में अंकित ऊपर उल्लिखित तथ्य और विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

मतदाता सूची का क्रमांक -

वार्ड संख्या -

नगरपालिका का नाम -

दिनांक -

आपात्तिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

वर्तमान पता -

*यहां नाम अंकित करें जैसा कि मतदाता सूची में है।

नोट : कोई भी व्यक्ति जो झूठी घोषणा करता है या सूचना देता है जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास है कि वह झूठ है या सत्य नहीं होने का विश्वास करता है, को भा.द.वि. की धारा 182 या/और धारा 199 तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 474 अन्तर्गत दंडित किया जा सकता है।

आपत्ति की प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमती/सुश्री जो (गली/मुहल्ला का नाम)

वार्ड संख्या डाक घर थाना जिला

के निवासी हैं, के द्वारा मतदाता सूची में दर्ज नाम के विरुद्ध दायर आपत्ति की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

स्थान :

तिथि :

रिवाइजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर